वि. स. ... [illegible]

फर्द अहकाम

रामसिंह बनाम किशनसिंह

वाद
160/25

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
15-04-2026	पत्रावली प्रस्तुत। वा.प. उपस्थित। समयाभाव के कारण आदेश जारी नहीं हो सके, बाबत आदेश प्रार्थना-पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा-151 हेतु दिनांक 16-04-2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर ... जयपुर	(5) 151, नाम हजफ
16-04-2026	पत्रावली प्रस्तुत। वा.प. उपस्थित। न्यायालय ने पत्रावली और प्रार्थना-पत्र नाम हजफ का गहन अवलोकन किया। कानूनन किसी भी व्यक्ति को पक्षकार तभी बनाया जाना चाहिए, जब वह 'आवश्यक पक्षकार' या उचित पक्षकार की श्रेणी में आता हो। प्रस्तुत मामले में वादी उक्त प्रतिवादियों के विरुद्ध कोई विशिष्ट अनुतोष नहीं मांगा है और ना ही उनकी भूमिका का उल्लेख किया है अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी 9, 11 एवं 12 का नाम वाद-पत्र के शीर्षक से हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शीर्षक में इनके नाम के आगे लाल स्याही/लाल पेन से 'नाम हजफ' अंकन किया जावे। प्रार्थना पत्र 'नाम हजफ' निस्तारित किया जाता है। पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा-151 सीपीसी के आदेश हेतु भी लम्बित है। प्रार्थी/प्रतिवादी-1 द्वारा (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर जयपुर	

अदा आमेर मु. जयपुर

फर्द अहकाम

नवलसिंह बनाम विष्णुसिंह

नाम न्यायालय SDO

केस संख्या 160/25

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा-151 सीपीसी के तहत साबित होने से प्रा०पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 स्वीकार किया जाकर, वाद, वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

निगमित वाद संख्या 160/2025 वाद प्रस्तुति दिनांक – 19.09.2025

भंवर सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम इटावा लाखा, वाया गच्छीपुरा तहसील मकराना, जिला नागौर।

––वादी

बनाम

1. विक्रम सिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रायथल तहसील जालसू जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक जालसू, तहसील जालसू जिला जयपुर।
4. ममता यादव पत्नी राजू यादव जाति अहीर निवासी मकान नम्बर 5 गोपालपुरा बाईपास बदरवास गजसिंहपुरा मानसरोवर जयपुर।
5. राजा यादव पत्नी शंकर लाल जाति अहीर निवासी मकान नम्बर 5 गोपालपुरा बाईपास बदरवास गजसिंहपुरा मानसरोवर जयपुर।
6. राजेन्द्र सोलेट पुत्र रणजीत सोलेट जाति जाट निवासी मकान नम्बर 156 सोलेट की ढाणी रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
7. विकास यादव पुत्र लालाराम जाति अहीर निवासी बदरवास तहसील व जिला जयपुर।
8. शीला जाजोदिया पुत्री मोहन लाल मोरारका जाति महाजन निवासी मकान नम्बर सी–129 ऋषभ पथ श्याम नगर जयपुर।
9. सुनिता पुत्री विक्रम सिंह जाति राजपूत निवासी ए–302, त्रिमूर्ति अपार्टमेन्ट मॉडल टाउन मालवीय नगर जयपुर। (नाम हजफ)
10. सांवरमल सोलेट पुत्र रणजीत सोलेट जाति जाट निवासी मकान नम्बर 156 सोलेट की ढाणी रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
11. सूर्य प्रताप सिंह पुत्र श्याम सिंह जाति राजपूत निवासी 111, गिरनार कॉलोनी वैशाली नगर जयपुर। (नाम हजफ)
12. सरोज पत्नी श्याम सिंह जाति राजपूत निवासी 111, गिरनार कॉलोनी वैशाली नगर जयपुर। (नाम हजफ)

––तरतीबी प्रतिवादीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 7 नियम – 11 एवं धारा 151 सीपीसी 1908</u>

सहायक कलक्टर आमेर, जयपुर

उपस्थिति :– (1) श्री हेमराज भदाला – अधिवक्ता वादी की ओर से
(2)श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

दिनांकः– 16.04.2026

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

निर्णय

न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 विक्रम सिंह की ओर से 19.12.2025 को एक प्रार्थना पत्र बावत निरस्तीकरण वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि –

1. प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 ने जाहिर किया है कि वादी ने 9509 / – रुपये प्रति बीघा की दर से कृषि भूमि क्रय करना बताया है । जबकि 100 / – रुपये से अधिक की अचल सम्पत्ति का बेचान केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा ही किया जा सकता है। वादी के पक्ष में कोई रजिस्टर्ड बेचाननामा नहीं है, अतः उसे खातेदार घोषित करवाने का कोई वाद हेतुक (Cause of Action) उत्पन्न नहीं होता है।

2. यदि वादी के पक्ष में कोई करार है, तो वह केवल करार की पालना (Specific Performance) हेतु सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर सकता है । केवल करार के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु राजस्व न्यायालय में वाद पोषणीय नहीं है।

3. वादी का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 10(2), 11, 12(2), 15, 38 आदि एवं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 101 के प्रावधानों के विपरीत होने से विधि द्वारा वर्जित है।

4. तथ्यों का छिपाव व क्लेवर ड्राफ्टिंगः वादी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि 15 बीघा भूमि किस खसरे के किस हिस्से में है। इसके अतिरिक्त, वादी ने माननीय न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से तथ्यों को छिपाया है, जैसे कि प्रतिवादी संख्या 2 (सुनीता) वादी की पत्नी है और प्रतिवादी संख्या 1 वादी के ससुर हैं।

न्यायिक दृष्टान्तः प्रतिवादी ने अपने तर्कों के समर्थन में उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के विभिन्न न्याय दृष्टान्त जैसे– Bhau Ram Vs Janak Singh AIR 2012 SC] Dahiben Vs Arvindbhai 2020 SCC] Raminarayan Sharma Vs M/s Vinkas Financial Services Raj HC 2017) प्रस्तुत किये हैं

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की वादी अधिवक्ता को प्रति दिलवाई गई। वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 का जवाब पेश किया। जिसमें संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है ना कि मालिक घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा हैं । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अनुसार राजस्थान राज्य में भूमि का मालिक राजस्थान सरकार होती है । माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि के संबंध में अपने हक अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया हैं एवं वाद के मद संख्या 9 में स्पष्ट रूप से वादकारण अंकित किया हैं । विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि कृषि

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

भूमि संबंधित अधिकारों की घोषणा का एकमात्र क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को हैं । इसलिये भी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं । वाद मूलतः कृषि भूमि में अपने अधिकारों की घोषणा के संबंध में है जिसकी सुनवाई का एकमात्र क्षेत्राधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 अनुसार राजस्व न्यायालय को हैं । उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में एक वाद न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें स्वयं प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि उक्त भूमि कृषि भूमि है इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 व 256 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही होकर राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार है जिस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये माननीय सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या 10 जयपुर महानगर प्रथम ने अपने आदेश दिनांक 31.5.2025 में यह अभिनिर्धारित किया कि वादग्रस्त सम्पत्ति कृषि भूमि है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही हैं । इसलिये भी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं । उक्त मद में वर्णित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 12(2), 10(2) इत्यादि में कृषि भूमि के संबंध में घोषणा हेतु राजस्व न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किये जाने पर किसी भी प्रकार की विधि द्वारा वर्जित नही किया गया है एवं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 101 व राजस्थान भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 18 उक्त प्रकरण पर लागू नही होती हैं क्योंकि उक्त वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से संबंधित है ना कि भू–राजस्व अधिनियम से संबंधित हैं । माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अभिनिर्धारित किया है कि कृषि भूमि से संबंधित से सुनवाई का क्षेत्राधिकार एकमात्र राजस्व न्यायालय को है यदि चाही गई घोषणा किसी भू–भाग का पंजीकृत व अपंजीकृत दस्तावेजों भी तस्दीक कर दिया गया है तो उस हद तक सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को हैं । इसलिये भी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं । अप्रार्थी द्वारा अपने वाद पत्र में सम्पूर्ण तथ्यों का स्पष्ट अंकन किया है प्रार्थी की खातेदारी में से बैचान उपहार पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन हो जाने के पश्चात शेष बची आराजी के समस्त राजस्व रिकार्ड पेश किये है जिनसे स्पष्ट है कि कितनी भूमि का उपहार पत्र किया जा चुका है एवं किस भूमि का बैचान किया जा चुका हैं । अप्रार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से मात्र वाद प्रस्तुत किये जाने की दिनांक को प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज भूमि में अपने हिस्से की घोषणा चाही है इसलिये भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 तथ्यों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य हैं । यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में 1990 से निरन्तर उत्तरदाता का कब्जा होने के तथ्य को स्वीकार किया हैं । अप्रार्थी 1990 से निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं एवं

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

कब्जा प्राप्त करने के पश्चात ड्रिप सिस्टम लगवाकर एक हजार पौधे लगाकर उनकी सुरक्षार्थ तारबन्दी करवा रखी हैं । इसलिये भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं । प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कही भी अंकन नही किया गया कि अप्रार्थी का वाद आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत किन प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा वर्जित हैं । इसलिये भी उक्त तथ्य का स्पष्ट उल्लेख नही किये जाने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं । उक्त सभी विधिक आपत्तियां प्रार्थी द्वारा जवाब दावे में उठाये जाने के पश्चात वाद पत्र व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर उभयपक्षों की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य लिये जाने के पश्चात ही निस्तारित की जा सकती है प्रारम्भिक स्तर पर उक्त जटिल विधिक प्रश्नो का निस्तारण किया जाना न्यायिक नही हैं । इसलिये भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं ।

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व उभय पक्षो द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का अवलोकन किया तथा विधि का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये जाने हेतु न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद व वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया

1. वादी द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र मे आपत्ति उठाई गई है कि सभी विधिक आपत्तियां जबाब दावें के आधार पर प्रार्थी द्वारा जवाब दावे में उठाये जाने के पश्चात वाद पत्र व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर उभयपक्षों की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य लिये जाने के पश्चात ही निस्तारित की जा सकती है, प्रारम्भिक स्तर पर उक्त जटिल विधिक प्रश्नो का निस्तारण किया जाना न्यायिक नही हैं जबकि स्वय अप्रार्थी ने जबाब मे स्वीकार किया है कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उठाई गई आपत्तिया विधिक है । उक्त आपत्तियो के संबध प्रार्थी /प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त पूर्णतया लागू होते है उच्चतम न्यायालय द्वारा 2022 ए आई आर सुप्रीम कोर्ट 2193 अभिनिर्धारित किया है कि B- Arbitration and Conciliation Act, 1996, Section 14 & Civil Procedure Code, 1908, Order 7, Rule 11 & Dismissal of application for rejection of plaint on ground that mandate of sole Arbitrator stood terminated under section 14(2) of Act, 1996 - Held, at stage of deciding application under Order 7, Rule 11 of CPC only averments and allegations in application/plaint are to be considered and not written statement and/or reply to application and/or defence Therefore, dismissal of application under Order 7, Rule 11 of CPC upheld.

AIR 2012 SUPREME COURT 3023 Bhau Ram Versus Janak Singh and others Civil Procedure Code, Order 7 Rule 11 Rejection of plaint While considering an application under Order 7 Rule 11 Civil Procedure Code, the Court has to examine the averments in the plaint and the pleas taken by the defendants in its written statements would be irrelevant- The law has been settled by this Court in various

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

decisions that while considering an application under Order VII Rule 11 CPC, the Court has to examine the averments in the plaint and the pleas taken by the defendants in its written statements would be irrelevant

2012(3) Recent Apex Judgments (RAJ) 600- A. Civil Procedure Code, Order 7, Rule 11 & Rejection of plaint by Court Power under Order 7 Rule 11 of Civil Procedure Code can be exercised at any stage of the suit either before registering the plaint or after the issuance of summons to the defendants or at any time before the conclusion of the trial The averments in the written statement are immaterial and it is the duty of the Court to scrutinise the averments/pleas in the plaint In other words] what needs to be looked into in deciding such an application are the averments in the plaint & At that stage] the pleas taken by the defendant in the written statement are wholly irrelevant and the matter is to be decided only on the plaint averments- 2003(1) RCR (Civil) 464 : 1998(2) RCR (Rent) 353 : 1998(4) RCR (Civil) 208, relied- [Paras 7 and 17]

B- Civil Procedure Code, Order 7, Rule 11 If clever drafting has created the illusion of a cause of action it should be nipped in the bud at the first hearing by eÛamining the parties under Order 10 of the Code- 1977(4) SCC 467, relied- [For 7]

C- Civil Procedure Code] Order 7, Rule 11 Cause of action & Meaning of & The cause of action is a bundle of facts which taken with the law applicable to them gives the plaintiff the right to relief against the defendant & A cause of action must include some act done by the defendant since in the absence of such an act no cause of action can possibly accrue It is mandatory that in order to get relief] the plaintiff has to aver all material facts- 1989(2) SCC 163, relied- [Paras 8 and 10]

Dahiben Vs- Arvinbhai Kalyanji Bhansai 2020 SCC On line 563] Para 12-5, At this stage, the pleas taken by the defendant in the written statement and application for rejection of the plaint on the merits] would be irrelevant] and cannot be adverted to] or taken into consideration- Sanjay Kaushish Vs- D- C Kaushiah AIR 1992 Del 118, Para 63 While deciding the application under Order VII] Rule 2 of the Code of Civil Procedure the Court can look to the documents referred to in the plaint

उक्त समस्त निर्णयो से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 सीपीसी मे उठाई गई विधिक आपत्तियाँ निर्णित करने हेतु जबाब दावे की आवश्यकता नही है, केवल वादपत्र मे अंकित तथ्यो व वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर ही प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी निर्णित किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में आदेश 07 नियम 11 मे उठाई गई विधित आपत्तियों के निस्तारण हेतु जबाब दावा की आवश्यकता नही है।

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

2. अप्रार्थी/वादी द्वारा वादपत्र के पैरा संख्या दो में अंकित किया है कि ग्राम रायथल, तहसील जालसू, जिला जयपुर में भूमि खसरा नम्बर 96 रकबा 5.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 354 रकबा 11 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 16.44 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज है, उक्त वर्णित भूमि में से 15 बीघा भूमि को जरिये करार सन् 1990 में वादी को 9509/– रूपये प्रति बीघा की दर से बेचान कर विक्रय प्रतिफल की राशि अदाकर मौके पर कब्जा भी सुपुर्द कर दिया था।

सन् 1990 में प्रतिवादी संख्या एक के सगे भाई दिग्विजय सिंह पुत्र महेन्द्रपाल सिंह ने 111/1/1 रकबा 65 बीघा 11 बीघा भूमि वादी को 10,000/– रूपये प्रति बीघा की दर से बेचान की तथा 30.01.1991 को वादी के पक्ष में विक्रयपत्र करवा दिया । वादी ने वादपत्र के पैरा सख्या तीन में अंकित किया कि वादी ने उक्त भूमि पर कब्जा करने के पश्चात् उस पर तारबन्दी करवाली तथा जिसमें पेड़ 1000 लगा दिये । वादी ने वादपत्र के पैरा सख्या पांच में अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या एक ने 15 बीघा का विक्रयपत्र तस्दीक नहीं करवाया निरन्तर टालमटोल करता रहा । वादी द्वारा वादपत्र के पैरा संख्या बारह में अंकित किया है कि वादी द्वारा एक वाद अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 10 में प्रस्तुत किया जिसे अपर जिला न्यायाधीश द्वारा 31.05.2025 को खारिज फरमा दिया । वादी द्वारा वादपत्र के अनुतोष के पैरा संख्या (अ) में अनुतोष चाहा कि घोषणा की डिक्री इस अमर की फरमा दिया जावे कि खसरा नम्बर 96/1, 96/2 व 354 में से प्रतिवादी संख्या एक द्वारा विभिन्न बेचान व उपहारपत्रों द्वारा भूमि का हस्तान्तरण किये जाने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या एक के पास बची भूमि में से वादी को 15 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में उसका नाम दर्ज किया जावे । प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे उठाई गई आपत्ति की वाद का वाद विधि द्वारा वर्जित है या नही उक्त बिन्दु को सर्वप्रथम निर्धारण किया जाना है वादी ने वादपत्र के पैरा सख्या पांच में अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या एक ने 15 बीघा का विक्रयपत्र तस्दीक नहीं करवाया निरन्तर टालमटोल करता रहा। उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि वादी के पक्ष किसी प्रकार का कोई अधिकार उद्भव हो जाने बाबत किसी प्रकार का कोई रजिस्टर्ड एंव अपंजीकृत दस्तावेज नही है । इसके विपरीत प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा उठाई गई आपत्ति कि राजस्थान का तकारी अधिनियम की धारा के अनुसार कृशि भूमि अधिकार निम्न प्रकार सृजित हो सकते है—38.

Interest of tenants & Save as provided in this Act, the interest of a tenant in his holding is heritable but not transferable-

Devolution of Tenancies 39. Bequest- A Khatedar tenant may by will bequeath his interest in the holding of part thereof in accordance with the personal law to which he is subject- 40. Succession to tenants& When a tenant dies intestate, his interest in his holding shall devolve in accordance with the personal law to which he was subject at the time of his death- Transfer of Tenancies 41. Transferability of Khatedar's interest- the interest of a Khatedar tenant shall be transferable otherwise than by way of sub-lease, subject to the conditions specified in sections 42 and 43.

S.B. Civil Writ Petition No- 644 of 2017 and S.B. Civil Writ Petition No. 622 of 2017. D/d-18-1-2017- Laxminarayan Sharma and Another Versus M/s- Vinkas Financial Services Pvt- Ltd- and Others in this case Rajasthan high court upheld As per Section 41 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955, it is the only 'khatedar' who could have sold the land- Unregistered sale-deed even otherwise, does not pass on any

title. Even the agreement to sell does not pass any title unless it culminates into registration of sale-deed- Possession cannot be transferred on the basis of mere agreement to sell, especially when the same has not been registered.

उक्त विधिक आपत्ति एंव न्यायिक दृष्टान्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादपत्र मे अंकन नही किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे उपरोक्त विहित प्रावधानो मे से किस प्रावधान के तहत वादी को विवादग्रस्त भूमि अधिकार प्राप्त हुए है तथा विधि अनुसार कोई भी न्यायालय घोषणा उन्ही अधिकारो बाबत कर सकता है जो अधिकार वादी को विधि व हस्तान्तरण व विरासत द्वारा प्राप्त हो चुके है, ना कि किसी नवीन अधिकार न्यायालय द्वारा सृजित कर घोषणा की जा सकती है उपरोक्त समस्त तथ्यो एंव विधि से स्थापित है कि वादी द्वारा वाद अंकित नही किया है कि वादी को किसी प्रकार विवादग्रस्त भूमि के अधिकार अर्जित हुए जिनके वह घोषणा कराना चाहता है। वादी किसी प्रकार की घोषणा कराने बाबत किसी प्रकार का कोई वाद हेतुक ही उत्पन्न नही हो सकता है। इसलिए वादी का वाद कारण के अभाव मे खारिज किया जाना चाहिए तथा स्वंय वादी द्वारा प्रार्थना पत्र के जबाब मे स्वीकार किया गया है कि यदि चाही गई घोषणा किसी भू–भाग का पंजीकृत व अपंजीकृत दस्तावेजों भी तस्दीक कर दिया गया है तो उस हक तक सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को हैं

3. वादी द्वारा वाद पत्र के पैरा संख्या चार मे अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मूल खसरा नम्बर 96 में से 15 बीघा भूमि का उपहार पत्र तस्दीक करवाये जाने के कारण वर्तमान में 15 बीघा भूमि का अलग से खसरा नम्बर 96/1 राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गया हैं एवं शेष भू–भाग के खसरा नम्बर 96/2 दर्ज राजस्व रिकार्ड प्रतिवादीगण के नाम से हैं तथा अनुतोष के खण्ड (ब) मे अंकित किया है कि यह कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की जारी फरमाई जायें कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 में उल्लेखित राजस्व ग्राम रायथल तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 96/1 रकबा 3. 7500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96/2 रकबा 1.6700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 354 रकबा 11.0000 हैक्टेयर भूमि में से 15 बीघा भूमि पर वादी के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे ना करवाये. जबकि वादी द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत दीवानी वादपत्र संख्या 157/2024 उनवानी भंवर सिहं बनाम विक्रम सिह का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पेज संख्या 02 मे विवेचना की है कि वादी ने वादपत्र में अंकित किया है कि उसका प्रतिवादी सं. 2 सुनीता के साथ विवाह दिनांक 07.05.1987 को हुआ तथा प्रतिवादी सं. 1 विक्रम सिंह जो कि वादी के ससुर है व प्रतिवादी सं. 2 के पिता है, उनके साथ ग्राम रायथल, तहसील आमेर में

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

स्थित उनकी खातेदारी भूमि खसरा सं. 354 व 96 की 65 बीघा में 15 बीघा भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 1 के सगे भाई महेन्द्रपाल की 11 बीघा भूमि क्रय करना बताया है तथा प्रतिवादी सं. 1 से जमीन का सौदा 9,509/– रू. प्रति बीघा की दर से तथा महेन्द्रपाल के आम मुख्त्यार दिग्विजय सिंह से 10,000/– रू. प्रति बीघा की दर से करना बताया है तथा कथन किया है कि प्रतिवादी सं. 1 ने वादी से रकम प्राप्त कर जमीन का कब्जा वादी को सौंप दिया, जिस पर उसने 1000 पेड़ सहजने के लगा दिये। जिनके बड़े होने पर अच्छी आय होने लगी तथा वादी ने उनकी देखाभाल के लिए दो व्यक्तियों को रखा और वादी ने अपने बैंक खाते से नेता फार्म ड्रिप एरिगेशन कंपनी को रकम अदायगी करे ड्रिप सिस्टम लगाया। लेकिन वादी के विदेश में नौकरी करने तथा जमीन देखने नहीं आने का फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 1 ने सारे पेड़ कटवा दिये तथा विक्रय पत्र तस्दीक कराने की कहने पर प्रतिवादी सं. 1 हमेशा विकय पत्र तस्दीक करने से टालता रहा तथा 14 वर्ष बाद वादी ने बिना अधिकार के उक्त भूमि का उपहार पत्र दिनांक 25.05.2004 को प्रतिवादी सं. 2 के नाम कर दिया।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व वाद पत्र मे अंकित अभिवचनो से तथ्य उभर के आये है कि वादी द्वारा पूर्व वाद मे खसरा नम्बर 96/1 पर कब्जा होना अंकित किया तथा उक्त वाद मे खसरा नम्बर 96/1 रकबा 3. 7500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96/2 रकबा 1.6700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 354 रकबा 11.0000 हैक्टेयर पर अपना कब्जा होना अंकित कर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है । उक्त कथनो से प्रमाणित है कि वादी का खसरा नम्बर 96/1 रकबा 3.7500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96/2 रकबा 1.6700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 354 रकबा 11.0000 पर किसी प्रकार का कोई कब्जा ना तो पूर्व मे रहा है तथा ना ही आज है इसलिए वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व वाद मे अंकित अभिवचनो के अनुसार खसरा नम्बर 96/1 रकबा 15 बीघा का कब्जा जरिये उपहार–पत्र दिनांक 25.05.2004 प्रतिवादी संख्या नो को सुपुर्द कर दिया गया था। प्रतिवादी संख्या नो को पूर्व वाद दीवानी वादपत्र संख्या 157/2024 उनवानी भंवर सिहं बनाम विक्रम सिह मे प्रतिवादी संख्या दो के रुप मे संयोजित किया गया था तथा प्रतिवादी संख्या नौ सुनीता के पक्ष मे किये गये उपहार पत्र को चुनौती दी गई तथा उपहार पत्र मे अंकित भूमि पर कब्जा होना अंकित किया गया था परन्तु वादी द्वारा मान्य न्यायालय को धोखा देने की नियत से उक्त वाद मे सुनीता को तरतीबी प्रतिवादी संख्या नो बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या नौ के कब्जे व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 96/1 के स्थान पर अन्य खसरा नम्बरान पर कब्जा होना अंकित किया गया है जबकि विधि के अनुसार अपने द्वारा किये गये कथनो से विबन्धीत है

सहायक कलक्टर

। प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त पूर्ण रुप से चस्पा होता है *1977(4) scc 467– surender Mohan (deceased) by LR v- Baldev Singh and others Civil Procedure Code, 1908, Section 35A and Order 7, Rule 11 & Plaint & Manifestly vexatious and meritless & Duty of Court & Rejection of plaint & Proper- Held, that if on a meaningful not formal & reading of the plaint it is manifestly vexatious and meritless] in the sense of not disclosing a clear right to sue, the Court should exercise its power under Order 7, Rule 11 of the Civil Procedure Code taking care to see the ground mentioned therein are fulfilled- The trial Courts would insist imperatively on examining the party at the first hearing so that bogus litigation can be shut down at the earliest stage- The trial Court should take deterent action under Section 35A of the Civil Procedure Code if it is satisfied that the litigation was inspired by vexatious motives and altogether groundless- 2025 141(RRC CIVIL 551 Som Nath v- Jaspal Kaur, (Punjab And Haryana (Civil Procedure Code, 1908) Order 7- Rule 11 - Rejection of plaint & Concealment of material facts When it is a clear case of re-litigation and the concealment of material facts from the Court, the Court should strike off the plaint at the earliest instance and the filing of the subsequent suit is a clear abuse of the process of the Court and that should not be allowed- Murugesan v- Sri- Kundramadai Ayyanar Koil etc- (1997) 2 L-W 780) wherein it has been held that it is a settled proposition of law that it is the duty of the person invoking the jurisdiction of the Court to make a full and true disclosure of all relevant facts- He should not suppress any fact- If he makes a statement, which is false, or conceals something from the court, which is relevant] the Court will refuse to go into the matter- It was further held that the suit as well as the injunction application are liable to be dismissed] not only on the ground that there is suppression of material fact but also on the ground that the very basis of the suit does not exist-*

4. वादी द्वारा उक्त वाद मे वाद कारण वाद के पैरा संख्या छः मे अंकित किया है कि दिनांक 05.09.2024 को भूमि पर प्रतिवादी संख्या एक एंव उसके साथ कुछ अजनबी व्यक्ति आये और वादी को बेदखल करने की धमकी दी जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एंव पूर्व वाद मे वर्णित तथ्यो से साबित है कि वादी का किसी प्रकार का कोई कब्जा विवादग्रस्त भूमि पर कभी नही रहा है तथा ना ही आदिनांक को है ऐसी अवस्था मे वादी द्वारा मात्र मान्य न्यायालय को गुमराह करने के उदेद य से अपनें पूर्ववर्ती कथनो से विपरीत जाकर मिथ्या कथन अंकित किये है। वादी द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 10, सांगानेर द्वारा दीवानीवाद संख्या 157/2024, में दिए गए निर्णय दिनांक 31.05.2025 की प्रति दावे के साथ संलग्न प्रस्तुत किए हैं। उक्त निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया था। इस दावे में वादी द्वारा मौखिक करार के आधार पर उपहार पत्र को शून्य घोषित करने और भूमि का स्वामी (खातेदार) घोषित करने का अनुतोष मांगा था। इस संबंध में

माननीय न्यायालय ने भूमि का मालिक (खातेदार) घोषित करने का अनुतोष के कारण वाद को सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर माना था, माननीय न्यायालय ने वाद कारण उत्पन्न होने चतुराई पूर्वक दावा ड्राफ्ट करके वाद को न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाने कब्जे के संबंध में अस्पष्ट अभिवंचन अंकित करने, 100 रूपये से अधिक की संपत्ति के करार (मौखिक) के अपंजीकृत होने, म्याद एंव वाद कारण एंव अनुतोष के संबंध में भुलावे में डालने के प्रयास के कारण न्यायालय ने उपर्युक्त वाद को नामंजुर किया है।इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत वाद में भी वादी ने इकरार के आधार पर खातेदारी अधिकारों की अनुतोष मांगा है। यद्यपि कोई पंजीकृत अथवा अपंजीकृत इकरार के प्रति दावे के साथ संलग्न नहीं की है। यहां यह उल्लेख नहीं है कि न्यायालय ADJ 10 सांगानेर के सम्मुख प्रस्तुत दीवानी वाद में मौखिक करार को मालिक (खातेदारी) घोषित करने के अनुतोष का आधार बनाया गया था।स्वयं वादी द्वारा 7/11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के जवाब में स्वीकार किया है कि यदि चाही गई घोषणा किसी भूभाग का पंजीकृत व अपंजीकृत दस्तावेजों से तस्दीक कर दिया गया हो उस हक तक सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। यहां यह उल्लेख नहीं है कि ऐसा कोई दस्तावेज दावे के साथ पेश ही नहीं किया गया। यदि कोई इकरार है भी तो उसका उचित उपचार स्पेशिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 10 के तहत दावा किया जाना चाहिए था। यहां तो सीधे ही अधिकार उद्घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया है। स्पेशिफिक रिलीफ एक्ट के तहत दावे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को ही है राजस्व न्यायालय को नहीं है।

5. वादी 1990 में इकरार की बात तो करता है परन्तु वादी द्वारा वाद के साथ विवादित खसरा नम्बर 96/1 एंव 354 की 1970 की जमाबन्दी एंव किसी प्रकार का कोई राजस्व अभिलेख ही प्रस्तुत नही किया है। वादी ने माननीय न्यायालय ADJ 10 सांगानेर के सम्मुख प्रस्तुत दीवानी विवादी संख्या 157/2024 उन्वानी, भंवर सिंह बनाम विक्रम सिंहं मौखिक करार के आधार पर दावा पेश किया है, परन्तु इस न्यायालय के सम्मुख दावे में इकरार शब्द अंकित कर दावा प्रस्तुत किया है, तथा इकरार की प्रति भी दावे के साथ प्रस्तुत नहीं कि है। जिससे स्पष्ट है कि वादी न्यायालय के साथ फ्राड प्ले कर रहा है तथा सत्य तथ्यो का छिपाव कर रहा है तथा उक्त कृत्य से प्रतीत है कि वादी न्यायालय को गुमराह कर निर्णय पारित करवाने हेतु उदेदश्य से वाद मे क्लेवर ड्राफ्टिंग की गई तथा ऐसी अवस्था मे विधि अनुसार जो कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड सें नही आता है तथा क्लेवर ड्राफ्टिंग करता है तो उसको किसी प्रकार का कोई अनुतोष मान्य न्यायालय द्वारा प्रदान नही किया जा सकता है तथा विधि के सिद्धान्तो के अनुसार ऐसे वाद को प्रारम्भिक चरण मे ही खारिज कर दिया जाना चाहिए।यहां यह स्पष्ट

करना आवश्यक हैं कि वादी भंवर सिंह ने पूर्व वाद की असफलता को छिपाने का प्रयास किया तथा वर्तमान वाद में केवल शब्दों की चतुराई से नया आधार बनाने का प्रयास किया जो Clever Draftuing Priciple के विरूद्ध है सुप्रीम कोर्ट ने बार–बार कहा है कि न्यायिक प्रकिया का उपयोग करने वालों पर कड़ी लागत लगाई जाए ताकि निरर्थक मुकदमेंबाजी को रोका जा सके।

:: आ दे श ::

उपरोक्त दस्तावेज व वाद मे अंकित अभिवचनो के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि :–

1. आदेश 7 नियम 11() सी.पी.सी. के तहत यदि वाद पत्र से कोई वाद–हेतुक प्रकट नहीं होता है, तो वाद पत्र नामंजूर किया जाना चाहिए। वादी ने स्वयं अपने वाद पत्र के पैरा 2 में स्वीकार किया है कि उसने 15 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से "जरिये करार सन् 1990" में प्राप्त की थी । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अचल सम्पत्ति का विक्रय (जिसका मूल्य 100 रुपये या अधिक हो) बिना पंजीकृत विक्रय–पत्र (Registered Sale Deed) के पूर्ण नहीं होता। केवल एक अपंजीकृत करार (Unregistered Agreement to Sell) के आधार पर किसी व्यक्ति को अचल सम्पत्ति का स्वामित्व या खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं,। जब वादी के पक्ष में स्वामित्व का हस्तान्तरण ही विधि अनुसार नहीं हुआ है, तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत अपने खातेदारी अधिकारों की "घोषणा" की मांग नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वादी ने इसके संबंध में किसी प्रकार की कोई Deed पेश नहीं किया है। अतः, वादी का वाद पत्र खातेदारी घोषणा हेतु कोई विधिक वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है।
2. विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) एवं न्यायालय का क्षेत्राधिकारः राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल उन अधिकारों की घोषणा करना है जो विधि के तहत सृजित, हस्तान्तरित या विरासत में प्राप्त हो चुके हों। राजस्व न्यायालय किसी अपंजीकृत करार के आधार पर किसी नवीन अधिकार का सृजन कर घोषणा की डिक्री पारित नहीं कर सकता। यदि वादी के पास कोई करार है, तो उसका विधिक उपचार 'विनिर्दिष्ट अनुपालना' (Specific Performance of Contract) का वाद सक्षम दीवानी न्यायालय (Civil Court) में प्रस्तुत करना है, न कि राजस्व न्यायालय में। वादी द्वारा यह तर्क देना कि दीवानी न्यायालय (अपर जिला न्यायाधीश) ने पूर्व वाद सं. 157/2024 खारिज कर दिया, वादी को राजस्व न्यायालय में वह अनुतोष मांगने का अधिकार नहीं देता जो विधि अनुसार यहाँ ग्राह्य नहीं है। अतः यह वाद आदेश 7 नियम 11(क) सी.पी.सी. के तहत विधि द्वारा वर्जित है।

3. क्लेवर ड्राफ्टिंग (Clever Drafting) एवं भ्रामक वादः उच्चतम न्यायालय ने Dahiben Vs- Arvindbhai Kalyanji Bhansali (2020) ,Page 18, में स्पष्ट अभिनिर्धारित किया है कि यदि क्लेवर ड्राफ्टिंग के माध्यम से वाद–हेतुक का भ्रम पैदा किया गया है, तो न्यायालय को आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. की शक्तियों का प्रयोग कर ऐसे वाद को प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त कर देना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में वादी ने एक साधारण करारनामे की पालना के विवाद को 'खातेदारी अधिकार की घोषणा' का रूप देकर राजस्व वाद प्रस्तुत किया है, जो कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

4. तथ्यों की अस्पष्टताः वादी ने 16.44 हैक्टेयर की कुल आराजी में से मात्र 15 बीघा भूमि का करार होना बताया है, परन्तु वाद पत्र में उस 15 बीघा भूमि की कोई विशिष्ट चौहद्दी (Boundaries) या स्पष्ट रेखांकन प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वह किस भू–भाग पर काबिज है।

5. वाद का वाद की क्षेत्राधिकारिता व श्रवणाधिकारिता (Jurisdiction) न्यायालय को प्राप्त नही है तथा ना ही वादी को किसी प्रकार का कोई वाद हेतुक (Absense Of Cause Action) के उत्पन्न नही हुआ है तथा वादी का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के विपरीत होने से विधि द्वारा वर्जित है (Barred By Law) तथा वादी द्वारा बार बार मिथ्या तथ्यो के आधार पृथक पृथक न्यायालयो मे वाद (Abuse Of Court Process) प्रस्तुत कर बहुमूल्य न्यायिक समय बर्बाद कर रहा है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी/वादी का वाद पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा पर्चा डिक्री पृथक से तैयार किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

प्रकरण संख्या – 160/2025
बउनवानी – भंवरसिंह बनाम विक्रम सिंह
निर्णय दिनांक – 16.04.2026

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी: **श्रीमती सुमन चौधरी**
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 160/2025 वाद प्रस्तुति दिनांक –19.09.2025

भंवर सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम इटावा लाखा, वाया गच्छीपुरा तहसील मकराना, जिला नागौर।

––वादी

बनाम

1. विक्रम सिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रायथल तहसील जालसू जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक जालसू, तहसील जालसू जिला जयपुर।
4. ममता यादव पत्नी राजू यादव जाति अहीर निवासी मकान नम्बर 5 गोपालपुरा बाईपास बदरवास गजसिंहपुरा मानसरोवर जयपुर।
5. राजा यादव पत्नी शंकर लाल जाति अहीर निवासी मकान नम्बर 5 गोपालपुरा बाईपास बदरवास गजसिंहपुरा मानसरोवर जयपुर।
6. राजेन्द्र सोलेट पुत्र रणजीत सोलेट जाति जाट निवासी मकान नम्बर 156 सोलेट की ढाणी रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
7. विकास यादव पुत्र लालाराम जाति अहीर निवासी बदरवास तहसील व जिला जयपुर।
8. शीला जाजोदिया पुत्री मोहन लाल मोरारका जाति महाजन निवासी मकान नम्बर सी–129 ऋषभ पथ श्याम नगर जयपुर।
9. सुनिता पुत्री विक्रम सिंह जाति राजपूत निवासी ए–302 त्रिमूर्ति अपार्टमेन्ट मॉडल टाउन मालवीय नगर जयपुर।
10. सांवरमल सोलेट पुत्र रणजीत सोलेट जाति जाट निवासी मकान नम्बर 156 सोलेट की ढाणी रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
11. सूर्य प्रताप सिंह पुत्र श्याम सिंह जाति राजपूत निवासी 111 गिरनार कॉलोनी वैशाली नगर जयपुर।
12. सरोज पत्नी श्याम सिंह जाति राजपूत निवासी 111 गिरनार कॉलोनी वैशाली नगर जयपुर।

––तरतीबी प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 7 नियम – 11 एवं धारा 151 सीपीसी 1908

प्रकरण संख्या – 160 / 2025
बउनवानी – भंवरसिंह बनाम विक्रम सिंह
निर्णय दिनांक – 16.04.2026

वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत खारिज(Reject) किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 16.04.2026 को जारी किया।

दस्तखत----
ओहदा----

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर